

बिहार गजट

असाधारण अक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़ 1942 (श0) (सं0 पटना 400) पटना, वृहस्पतिवार, 2 जुलाई 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 2 जुलाई 2020

एस0ओ0 136 दिनांक 2 जुलाई 2020—बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (अधिनियम 16, 1993) की धारा 9 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल, बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 में निम्नलिखित संशोधन त्रंत के प्रभाव से करते हैं:—

1. बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 में संशोधन:-

- (i) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर पदाधिकारी'' शब्द समूह अंकित है, को '' राज्य कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को '' राज्य कर उपायुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 में जहाँ कहीं भी "वाणिज्य—कर उपायुक्त" शब्द समूह अंकित है, को" राज्य कर संयुक्त आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को '' राज्य कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 में जहाँ कहीं भी ''वरीय वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त' या 'वाणिज्य—कर अपर आयुक्त' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर विशेष आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को '' राज्य कर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[(सं०सं०बिक्री–कर/संशोधन–04/2018-1201]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा.

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

2 जुलाई 2020

एस0ओ0 136 दिनांक 2 जुलाई 2020 का अंग्रेजी में निम्निलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के आदेश से प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०बिक्री—कर / संशोधन—04 / 2018-1201] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, **डॉ प्रतिमा,** राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 2nd July 2020

S.O. 136 dated the 2nd July 2020-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of The Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993(Act 16 of 1993), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 with immediate effect.

1. Amendment in the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993.

- (i) The words "Commercial Taxes officer", wherever occurring in the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993, shall be substituted by the words "Assistant Commissioner State Tax".
- (ii) The words "Assistant Commissioner of Commercial Taxes", wherever occurring in the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993, shall be substituted by the words "Deputy Commissioner State Tax".
- (iii) The words "Deputy Commissioner of Commercial Taxes", wherever occurring in the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993, shall be substituted by the words "Joint Commissioner State Tax".
- (iv) The words "Joint Commissioner of Commercial Taxes", wherever occurring in the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993, shall be substituted by the words "Additional Commissioner State Tax".
- (v) The words "Senior Joint Commissioner of Commercial Taxes" or "Additional Commissioner of Commercial Taxes", wherever occurring in the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993, shall be substituted by the words "Special Commissioner State Tax".
- (vi) The words "Commissioner of Commercial Taxes", wherever occurring in the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993, shall be substituted by the words "Commissioner State Tax".

[(File No. Bikri-kar/Sanshodhan-04/2018--1201)] By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-Cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 400-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in